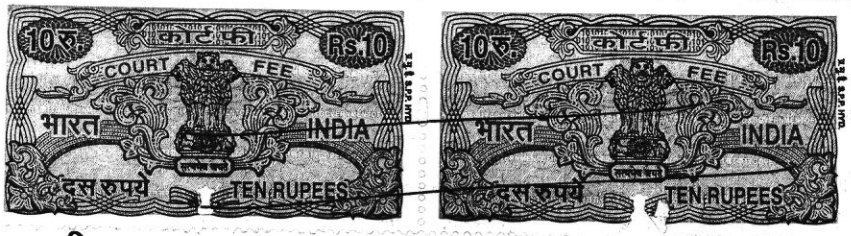

न्यायालय :– माननीय म0प्र0राजस्व मंडल, ग्वालियर

R-3876-PBR/14

हरिसिंह आ0 श्री पन्नालाल मेहरा उम्र 46 वर्ष
ग्राम कोटवार तरौंनखुर्द निवासी–**तरौंनकलॉ**
तहसील **पिपरिया** जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

.....याचिकाकर्ता

विरूद्ध

श्रीमान नियुक्तिकर्ता अधिकारी
तहसीलदार महोदय, तहसील **पिपरिया**
जिला–होशंगाबाद (म.प्र.)

.....उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

याचिकाकर्ता की ओर से निवेदन है कि :–

अधिनस्थ राजस्व न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद (म.प्र.) के अपील राजस्व प्रकरण क0– 44ए/2009–10 में आदेश दिनांक 11/9/2014 से परिवेदित होकर याचिकाकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3876–पीबीआर/14 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 11–9–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि आवेदक के विरूद्ध अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोहागपुर द्वारा प्रकरण कमांक 512/2000 में दिनांक 27–4–2004 को आदेश पारित कर 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड धारा 325 आई.पी.सी. के तहत सजा सुनाई जाने के कारण आवेदक के विरूद्ध दोष सिद्ध हुआ है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 230 के अंतर्गत की गई कार्यवाही विधि के प्रावधानों के अनुरूप है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर अपील निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	